कार्यालय :– छत्तीसगढ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, (पुराना हाईकोर्ट भवन) बिलासपुर (छ.ग.)

सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन

विज्ञापन कमांक 2544/तीन–02–01/2003,

बिलासपुर, दिनांक 08/09/2023

आवेदन प्रस्तुत करने की प्रारंभिक तिथि :– 10/09/2023 से प्रात 10.00 बजे से
आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि :– 09/10/2023 से शाम 05.00 बजे तक

कार्यालय छत्तीसगढ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर (छ.ग.) एवं अधीनस्थ स्थापनाओं में रिक्त अनुवादक (हिन्दी से अंग्रेजी), सहायक ग्रेड–3/ कम्प्यूटर आपरेटर/ प्रोसेस राईटर, वाहन चालक एवं भृत्य/आदेशिका वाहक के निम्न पदों पर अर्हता प्राप्त भारतीय नागरिकों और भारत सरकार द्वारा मान्य अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं :—:

रिक्त पदों का विवरण :–

क.	पदनाम	रिक्त पदों की संख्या	अनारक्षित					अन्य पिछडा वर्ग					अनुसूचित जाति					अनुसूचित जनजाति				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			मुक्त	महिला	दिव्यांग	उत्कृष्ट खिलाड़ी	भ.पू.सै.	मुक्त	महिला	दिव्यांग	उत्कृष्ट खिलाड़ी	भ.पू.सै.	मुक्त	महिला	दिव्यांग	उत्कृष्ट खिलाड़ी	भ.पू.सै.	मुक्त	महिला	दिव्यांग	उत्कृष्ट खिलाड़ी	भ.पू.सै.
2	अनुवादक (हिन्दी से अंग्रेजी)	01	01	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6	सहायक ग्रेड–3 / कम्प्यूटर आपरेटर / प्रोसेस राईटर	80	18	10	03	01	04	04	01	–	–	01	05	03	01	–	01	14	08	02	01	03
7	वाहन चालक	01	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	01	–	–	–	–
8	भृत्य/ आदेशिका वाहक	30	10	06	01	–	04	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	04	02	01	–	02
	योगः–	112	29	16	04	01	08	04	01	–	–	01	05	03	01	–	01	19	10	03	01	05

भर्ती की पात्रता एवं शर्तें

(01) अनुवादक (हिन्दी से अंग्रेजी) के पद के लिए :–

अ– **शैक्षणिक योग्यता –**

1. हिंदी में स्नातकोत्तर उपाधि अंग्रेजी में दक्षता सहित अथवा अंग्रेजी में स्नात्कोत्तर उपाधि हिन्दी में दक्षता सहित । कंप्यूटर में कार्य करने की दक्षता आवयश्यक है। विधि स्नातक को अधिमान्यता दी जायेगी अर्थात वरिष्ठता निर्धारण में विधि स्नातक को 05 अतिरिक्त अंक प्रदान किया जाएगा।

महत्वपूर्ण टीपः– उपरोक्त वर्णित योग्यताएँ न्यूनतम योग्यता है अतः आवेदक उपरोक्त पदों पर आवेदन करने के पूर्व, यह सुनिश्चित कर लेवे कि वह आवेदित पद की योग्यता धारित करता है।

(02) सहायक ग्रेड–3/कम्प्यूटर आपरेटर/प्रोसेस राईटर के लिए :–

अ– **शैक्षणिक योग्यता –**

1. मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण

अथवा

पुरानी हायर सेकेण्डरी उत्तीर्ण के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय के स्नातक पाठ्यकम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण।

2. मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एण्ट्री आपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाण पत्र

तथा,

3. कम्प्यूटर में हिन्दी टायपिंग का 5000 की (Key) डिप्रेशन प्रतिघंटा (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जावेगी)
4. मान्यता प्राप्त मंडल/संस्था अथवा छ0ग0शीघ्रलेखन मुद्रलेखन परीक्षा परिषद से (कम्प्यूटर एवं साप्टवेयर के माध्यम से) हिन्दी अथवा अंग्रेजी मुद्रलेखन में 5000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घंटा की गति (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जावेगी) का प्रमाण–पत्र।

नोटः– (1) उपरोक्त 1, 2 एवं 4 की डिप्लोमा/प्रमाण–पत्र विज्ञापन जारी होने के दिनांक को धारित हो।
(2) उपरोक्त कमांक–3 की दक्षता की जांच, प्रायोगिक दक्षता की कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित अभ्यर्थीयों की दक्षता/कौशल परीक्षा के समय ही की जावेगी।

महत्वपूर्ण टीपः– उपरोक्त वर्णित योग्यताएँ न्यूनतम योग्यता है अतः आवेदक उपरोक्त पदों पर आवेदन करने के पूर्व, यह सुनिश्चित कर लेवे कि वह आवेदित पद की योग्यता धारित करता है।

(03) वाहन चालक के लिए :–

अ– **शैक्षणिक योग्यता –**

1. किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा आठवीं की परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
2. वैध LMV ड्राईविंग लायसेन्स (vaild LMV Driving Licenese) तथा समस्त प्रकार के वाहनों विशेषतः कार/बुलोरो/हैवी व्हीकलस् के चालन का अनुभव रखता हो। मोटर मेकेनिक/डीजल मेकेनिक ट्रेड में आई.टी.आई.उत्तीर्ण योग्यताधारी व्यक्तियों को वरीयता दी जायेगी।

<u>टीपः–कमर्शियल ट्रासपोर्ट वाहन चलाने वाले ड्राईविंग लाइसेंसधारी को प्राथमिकता दी जा सकती है।</u>

महत्वपूर्ण टीपः– उपरोक्त वर्णित योग्यताएँ न्यूनतम योग्यता है अतः आवेदक उपरोक्त पदों पर आवेदन करने के पूर्व, यह सुनिश्चित कर लेवे कि वह आवेदित पद की योग्यता धारित करता है।

(04) भृत्य के पद के लिए :–

अ–शैक्षणिक योग्यता –किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्था से कक्षा पॉचवी की परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

टीप :–ड्राईवर,कुक,पलम्बर, इलेक्ट्रिशियन, माली,पेंटर इत्यादि कार्यो के अनुभव प्राप्त उन उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जावेगी, जिन्होंने अनुभव के संबंध में अधिकृत प्राधिकारी/संस्था का प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया हो, लेकिन प्रमाण पत्र फर्जी पाए जाने पर ऐसे अभ्यर्थी की सेवा तत्काल बिना किसी सूचना के समाप्त कर दी जावेगी एवं उसके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही भी की जावेगी, आवश्यक शैक्षणिक योग्यता से अधिक शैक्षणिक योग्यता वाले अभ्यर्थियों को चयन में कोई प्राथमिकता नहीं दी जावेगी।

महत्वपूर्ण टीपः– **उपरोक्त वर्णित योग्यताएँ न्यूनतम योग्यता है, अतः आवेदक उपरोक्त पदों पर आवेदन करने के पूर्व, यह सुनिश्चित कर लेवे कि वह आवेदित पद की योग्यता धारित करता है।**

(छ0ग0 वेतन पुनरीक्षण नियम, 2017 के अनुसार उपरोक्त समस्त पदों के वेतनमान एवं पे मैट्रिक्स लेबल लागू होगा)

–: आयु सीमा एवं पात्रता की अन्य शर्तें :–

1. (अ). कोई भी उम्मीदवार जिसने विवाह के लिए निर्धारित आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

   (ब) कोई पुरूष अभ्यर्थी, जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों, और कोई भी महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो, जिसकी पहले एक पत्नी जीवित हो, नियुक्ति का पात्र नहीं होगा। कंडिका अ एवं ब के संबंध में गलत जानकारी दिये जाने पर संबंधित आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जावेगा। नियुक्ति होने की दशा में अपात्र मानकर सेवा से पृथक किया जावेगा।

2. प्रत्येक ऐसे अभ्यर्थी पात्र होंगे, जिनकी आयु दिनांक 01/01/2023 को 18 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक न हो, परंतु छत्तीसगढ के स्थानीय/ मूल निवासी अभ्यर्थी के लिए उच्चतर आयु सीमा 40 वर्ष होगी। छत्तीसगढ राज्य के स्थानीय निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर कीमीलेयर), महिला इत्यादि के लिए अधिकतम आयु सीमा में राज्य शासन द्वारा जो छूट दी गई है, वह छूट यथावत लागू रहेगी, तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आयु के संबंध में समय–समय पर जारी निर्देशों के आधार पर अभ्यर्थियों को आयु में दी जाने वाली सभी प्रकार की छूट को सम्मिलित करने के बाद अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(छत्तीसगढ राज्य के बाहर अन्य राज्यों के आवेदकों के लिए अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष होगी।)

आयु संबंधी प्रमाण के लिए **हाईस्कूल/ हायर सेकेण्डरी परीक्षा** के प्रमाण पत्र जिसमें जन्मतिथि का उल्लेख हो, मान्य होगा। वाहन चालक एवं भृत्य के पद हेतु पॉचवी/आठवी प्रमाण–पत्र जिसमें जन्मतिथि अंकित हो अथवा अन्य अभिलेख जिसमें जन्मतिथि प्रमाणित हो, प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

जो अभ्यर्थी उच्चतर आयु सीमा में छूट चाहते हैं, उन्हें संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(3) उच्चतम आयु सीमा में छूट

निम्नलिखित श्रेणी के उम्मीदवारों को अधितम आयु सीमा में निम्नानुसार छूट रहेगी :–

3 **(एक) (1)** – यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ शासन द्वारा घोषित अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का है, तो आयु सीमा में अधिकतम 5 वर्ष तक छूट दी जावेगी।

3 (एक) (2) – यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ शासन द्वारा घोषित अन्य पिछड़ा वर्ग का है तो सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र कमांक एफ–7–25–93/1 आ.प्र. दिनांक 20/01/1994 के अंतर्गत् आयु सीमा में अधिकतम 5 वर्ष की छूट दी जावेगी, अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी को कीमीलेयर के अंतर्गत् नहीं होना चाहिए।

3 (एक) (3) – छत्तीसगढ शासन के स्थायी/अस्थायी/ वर्कचार्ज या कंटीन्जेंसी पेड कर्मचारियों तथा छत्तीसगढ राज्य के निगमों/मंडलों आदि के कर्मचारियों के संबंध में उच्चतम आयु सीमा 38 वर्ष तक रहेगी, यही अधिकतम आयु परियोजना कियान्वयन समिति के अंतर्गत् कार्यरत् कर्मचारियों के लिए भी स्वीकार्य होगी।

3 (एक) (4) – ऐसे अभ्यर्थी को जो भूतपूर्व सैनिक हो अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जावेगा, किंतु उसके परिणामस्वरूप जो योग निकले वह अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

3 (एक) (5) – महिलाओं के आयु सीमा में शासन के नियमानुसार 10 वर्ष से शिथिलनीय होगी, जो कि उनके वर्ग में मिलने वाली आयु सीमा में छूट के अतिरिक्त होगी।

3 (एक) (6) – सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र कमांक एफ–1–2/2002/1/3 दिनांक 02/06/2004 के अनुसार शिक्षाकर्मियों को शासकीय सेवा में उतने वर्ष की छूट दी जावेगी जितने वर्ष शिक्षाकर्मी के रूप में सेवा की गई है, इसके लिए 6 माह से अधिक सेवा की अवधि 01 वर्ष की आयु सीमा तक रहेगी। जिन वर्गों को पूर्व से ही आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जा रहा है (**अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग/ विधवा परित्यक्ता महिला आदि**) वे इस निर्देश से प्रभावित नहीं होगे।

3 (एक) (7) – विधवा, परित्यक्ता तथा तलाकशुदा महिलाओं के लिए उच्चतम आयु सीमा में अधिकतम 5 वर्ष तक छूट रहेगी।

3 (एक) (8) –आदिम जाति, जनजाति एवं पिछडा वर्ग के कल्याण विभाग की अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत् पुरस्कृत दंपतियों के सवर्ण सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के कमांक सी 3/10/85/3/1 दिनांक 29/06/1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु की सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जावेगी।

3 (एक) (9) –विकम पुरस्कार सहित राजीव पांडे पुरस्कार, गुंडूधर सम्मान, महाराजा प्रवीण चंद भंजदेव सम्मान, राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवाओं को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन कमांक एम–19–2/2005/1–3 दिनांक 01/12/2006 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जावेगी।

3 (एक) (10)– उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन कमांक एफ–6–10/2004/1–9 दिनांक 06 जुलाई 2010 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जावेगी।

टीप :– (01) बिंदु कमांक 3 (एक) में अधिक लाभकारी वाली एक ही छूट मिलेगी।

(02) बिंदु कमांक 3 (दो) के अंतर्गत् प्रोत्साहन स्वरूप अधिकतम आयु सीमा में विभिन्न कार्य/योजनाओं के अंतर्गत् दी गई छूटों में यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक छूटों का आधार रखता है, तो उसे आयु सीमा में सर्वाधिक (अधिकतम) लाभ वाले किसी एक आधार (प्रोत्साहन वाले) के लिए छूट मिलेगी। यह छूट बिंदु कमांक (एक) में दी गई विशेष छूट के अतिरिक्त होगी।

उदाहरण – *यदि कोई अभ्यर्थी अनुसूचित – जाति/ अनुसूचित – जनजाति/ अन्य – पिछड़ा वर्ग, विक्रम पुरस्कार प्राप्त धारक हो तो उसे अनुसूचित – जाति/ अनुसूचित – जनजाति/ अन्य – पिछड़ा वर्ग के लिए अधिकतम आयु सीमा में निर्धारित 5 वर्ष की छूट के साथ प्रोत्साहन वाले अधिक लाभकारी , विक्रम पुरस्कार के अधार पर 5 वर्ष की छूट और दी जावेगी, अन्तर्जातीय विवाह के लिए निर्धारित छूट नहीं दी जावेगी। अनुसूचित – जाति/ अनुसूचित – जनजाति/ अन्य –पिछड़ा वर्ग के लिए आयु सीमा 5 वर्ष की छूट अधिकतम आयोग की सीमा में छूट का लाभ दिया जा सकेगा, अतः विक्रम पुरस्कार अथवा अन्तर्जातीय विवाह के निर्धारित आयु की छूट नहीं दी जावेगी।*

(5) यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी, कि वह आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हताओं तथा शर्तों को पूरा करते हैं, अतः आवेदन करने के पहले अभ्यर्थी अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर लें, और अर्हताओं की सामान्य शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भेजें। परीक्षा में सम्मिलित किए जाने का यह अर्थ कदापि नहीं होगा कि, अभ्यर्थी को अर्हत मान लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी के अनर्हत पाए जाने पर उसका आवेदन निरस्त कर उनकी उम्मीदवारी/चयन समाप्त की जाएगी। नियुक्ति पश्चात् जांच में किसी भी समय अनर्हत पाए जाने पर उनकी नियुक्ति समाप्त कर दी जाएगी।

(6) अनुसूचित – जाति/ अनुसूचित – जनजाति/ अन्य – पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पद केवल छत्तीसगढ के मूल निवासी अनुसूचित – जाति/ अनुसूचित – जनजाति/ अन्य – पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित हैं।

मध्यप्रदेश सहित अन्य प्रदेश के मूल निवासी ऐसे अभ्यर्थी जो अपने मूल निवास के राज्य में अनुसूचित – जाति/ अनुसूचित – जनजाति/ अन्य – पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्य हों, **अनारक्षित श्रेणी** के उम्मीदवारों के लिए विज्ञापित पद के विरूद्ध ही अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवारों की तुलना में विचार किए जाएंगे, आरक्षित पद के विरूद्ध नहीं।

महिलाओं के लिए आरक्षित पदों पर केवल छत्तीसगढ की स्थानीय निवासी महिला अभ्यर्थी को ही विचारित किया जावेगा।

(7) आरक्षित पद के विरूद्ध चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति के पश्चात् कार्यभार ग्रहण करते समय राज्य शासन के ज्ञापन दिनांक 29/06/2013 में दिए गए प्रारूप के अनुसार जाति के संबंध में शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उनका चयन/नियुक्ति निरस्त किया जावेगा।

(8) महिलाओं को नियमानुसार होरिजोंटल आरक्षण दिया जावेगा। लेकिन किसी भी प्रवर्ग में महिलाओं के लिए आरक्षित पद उपयुक्त महिला अभ्यर्थी के अभाव के कारण चयन न होने से रिक्त रह जाते हैं तो **ऐसे रिक्त पद उसी प्रवर्ग के पुरूष उम्मीदवारों के चयन द्वारा भरे जा सकेंगे।**

(9) यदि अभ्यर्थी कोई अन्य छूट आयु के संबंध में लेना चाहता है, तो राज्य सरकार के आयु सीमा के निर्देशों का उल्लेख एवं नियम बताते हुए दस्तावेज संलग्न कर छूट प्राप्त कर सकता है। दस्तावेजों के अभाव में उन्हें छुट का पात्र नहीं माना जावेगा।

(10) चयनित उम्मीदवारों को छत्तीसगढ शासन वित्त विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला रायपुर के वित्त निर्देश कमांक 372/260/वि/नि/चार/2020 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 29/07/2020 एवं सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 28 जुलाई 2020 की अधिसूचना के आधार पर चयनित उम्मीदवार की नियुक्ति तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर की जावेगी एवं उक्त परिवीक्षाधीन अवधि पर नियुक्त सेवकों को नियमानुसार स्टाईपेंड देय होगा ।

प्रथम वर्ष	–	**पद के वेतनमान के न्यूनतम का 70 प्रतिशत**
द्वितीय वर्ष	–	**पद के वेतनमान के न्यूनतम का 80 प्रतिशत**
तृतीय वर्ष	–	**पद के वेतनमान के न्यूनतम का 90 प्रतिशत**

किंतु परिवीक्षा अवधि में स्टाईपेंड के साथ अन्य भत्ते, कार्यरत अन्य शासकीय कर्मियो की तरह प्राप्त होंगे। परिवीक्षा अवधि सफलता पूर्वक पूर्ण न होने पर उसे आगे केवल एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकेगा। इसके पश्चात् भी यदि यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी के द्वारा अपनी परिवीक्षा अवधि को सफलतापूर्वक पूर्ण नहीं किया गया तो उनकी सेवाएं बिना कोई कारण बताए समाप्त की जा सकेंगी।

(11) जो अभ्यर्थी चयन प्रकिया एवं परीक्षा को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने का प्रयास करेंगे, उसकी उम्मीदवारी किसी भी स्तर पर निरस्त कर दी जावेगी।

(12) जिन अभ्यर्थियों का आवेदन पत्र समय अवधि में कार्यालय में प्राप्त होगा, उन आवेदन पत्रों की भर्ती कमेटी/सब कमेटी द्वारा निर्धारित की गई प्रकिया के अनुसार छंटाई के पश्चात् आवेदकों को रोल नंबर आबंटित किया जावेगा। आबंटित रोल नंबर, नाम, पिता/पति का नाम एवं पता सहित सूची, परीक्षा की तिथि, समय एवं स्थान की जानकारी **छत्तीसगढ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर की वेबसाईट https://cgslsa.gov.in/ पर अपलोड की जाएगी** तथा अपलोड किए जाने की सूचना स्थानीय समाचार पत्र में विज्ञापन के माध्यम से दी जावेगी। उम्मीदवार वेबसाईट से अपना रोल नंबर डाउनलोड कर सकेंगे। प्राप्त आवेदन पत्रों की छंटाई (Short-listing) की प्रकिया एवं मापदण्ड भर्ती कमेटी/ सब कमेटी द्वारा निर्णित किया जावेगा, जो अंतिम होगा।

(13) यदि किसी कारण से अभ्यर्थी को परीक्षा की सूचना विलम्ब से प्राप्त होती है तो उसके लिए कार्यालय की जिम्मेदारी नहीं रहेगी। इस संबंध में अभ्यर्थी स्वयं सचेत रहें और उक्त वेबसाईट का समय–समय पर अवलोकन करते रहे।

(14) डाक द्वारा भेजे गए आवेदन पत्रों के निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त होने या नहीं प्राप्त होने की जिम्मेदारी इस कार्यालय की नहीं होगी।

(15) बिना हस्ताक्षर के प्राप्त आवेदन पत्र पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

(16) लिखित एवं कौशल परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित रहना होगा, उन्हें किसी प्रकार का यात्रा व्यय देय नहीं होगा।

(17) अभ्यर्थियों की संख्या अत्याधिक होने की स्थिति में लिखित परीक्षा/कौशल परीक्षा (जो भी लागू हो) में शामिल करने हेतु आवेदनों की शार्ट लिस्टिंग की जावेगी, जिसका मापदण्ड नियुक्ति प्राधिकारी के अनुमोदन पश्चात् गठित भर्ती कमेटी/ सब कमेटी द्वारा किया जावेगा।

(18) अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने की स्थिति में कौशल परीक्षा एक से अधिक पाली में ली जा सकेगी।

(19) नियुक्ति हेतु चयन प्रकिया नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा गठित कमेटी/सब कमेटी द्वारा सम्पन्न की जावेगी। इस कमेटी/सब कमेटी को चयन प्रकिया निर्धारित करने का अधिकार होगा, तथा इस संबंध में उसका निर्णय अंतिम होगा। उपयुक्त आवेदकों की छटाई के उद्देश्य से चयन प्रकिया के अंतर्गत विज्ञापित पद हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 8वीं/10वीं/12वीं (जो भी लागू हो) की परीक्षा में उम्मीदावारों के प्राप्तांक के आधार पर प्रारंभिक छटाई की जा सकेगी। यह छंटाई पद के योग्यता एवं अनुभव के आधार पर भी की जा सकती है।

(20). प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित अभिलेख अंतिम चयन परिणाम के 06 माह के पश्चात् विनिष्टीकरण किये जाने योग्य होंगे तथा उक्त अवधि के पश्चात् ''सूचना के अधिकार अधिनियम'' के अंतर्गत चयन प्रक्रिया से संबंधित किसी भी दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपि/निरीक्षण के लिये आवेदन मान्य नहीं होगा।

आवेदन प्रस्तुत करने की प्रकिया

1/– आवेदन पत्र विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप में प्रस्तुत किए जा सकेगे। पूर्णत : भरे हुए आवेदन पत्र **दिनांक 09/10/2023 की संध्या 5.00 बजे तक** बंद लिफाफे में , जिस पर स्पष्ट रूप से **"आवेदित पद के नाम के पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र"** लिखा हो। जिसे **छत्तीसगढ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, पुराना उच्च न्यायालय भवन बिलासपुर (छत्तीसगढ) पिन 495001** के पते पर परीक्षा सेल अनुभाग के नाम से **रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट/कोरियर द्वारा अंतिम तिथि के पूर्व भेजे जा सकेंगे। अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा। व्यक्तिगत रूप से कार्यालय में प्रस्तुत आवेदन स्वीकार्य नहीं किए जावेंगे। दिनांक 09/10/2023 की संध्या 5.00 बजे** के उपरांत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा। आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता, जाति, निवासी आदि से संबंधित प्रमाणपत्र की स्वयं अभिप्रमाणित (Self attested) प्रति संलग्न करना आवश्यक होगा। विज्ञापन व आवेदन पत्र के प्रारूप की प्रति **छत्तीसगढ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर की वेबसाईट https://cgslsa.gov.in/ पर अपलोड की जाएगी** । निर्धारित प्रारूप से भिन्न प्रारूप में प्रस्तुत आवेदन पत्र निरस्त किए जाएंगे।

2/– जन्मतिथि की सत्यता हेतु जन्म प्रमाणपत्र अथवा हाई–स्कूल/ हायर सेंकेण्डरी स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण करने की अंकसूची की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करें। वाहन चालक एवं भृत्य के पद हेतु पॉचवी/आठवी प्रमाण–पत्र जिसमें जन्मतिथि अंकित हो अथवा अन्य अभिलेख जिसमें जन्मतिथि प्रमाणित हो, प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

3/– ऐसे अभ्यर्थी जो शासकीय एवं अशासकीय संस्था में सेवारत हैं, उन्हें अपने नियुक्ति विभाग प्रमुख/ प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रदत्त परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति/ अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा। यदि अनुमति/ अनापत्ति प्रमाणपत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं हुआ तो उनका चयन नहीं किया जा सकेगा।

3.1/–क्या अभ्यर्थी को शासकीय अथवा गैरशासकीय संस्थानों से सेवानिवृत्त अथवा सेवा से पृथक किये गये है? यदि हॉ तो उसका स्पष्ट कारण दर्शित करते हुये विवरण/जानकारी देवें।

4/– अभ्यर्थी, आवेदनपत्र प्रेषित करने के पूर्व आवेदनपत्र के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करना सुनिश्चित कर लेवें, अन्यथा बाद में आवेदनपत्र से भिन्न प्राप्त दस्तावेजों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा, साथ ही इस संबंध में कोई पत्राचार स्वीकार्य नहीं होगा।

5/– प्रत्येक अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र में अपने समस्त शैक्षणिक, तकनीकी एवं व्यावसायिक योग्यता की स्पष्ट और संपूर्ण जानकारी प्रस्तुत करेंगे तथा इस आशय का घोषणा पत्र भी प्रस्तुत करेंगे। आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् किसी भी समय अभ्यर्थी की ओर से उच्च शैक्षणिक, तकनीकी अथवा व्यावसायिक योग्यता घोषित नहीं किया जा सकेगा। अभ्यर्थी द्वारा शैक्षणिक, तकनीकी और व्यावसायिक योग्यता के संबंध में दी गयी जानकारी अपूर्ण अथवा असत्य पायी जाती है तो चयन प्रकिया के किसी भी प्रकम पर अथवा नियुक्ति होने की स्थिति में नियुक्ति किसी भी समय पर निरस्त/समाप्त की जा सकेगी, साथ ही संबंधित के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही भी की जा सकेगी।

अभ्यर्थी की नियुक्ति के पश्चात् उक्त तथ्य के ज्ञात होने पर अभ्यर्थी के ऐसे कृत्य को गंभीर कदाचरण माना जावेगा तथा केवल इसी आधार पर ही उसे बिना जांच के सेवा से पृथक किया जा सकेगा।

6/— प्रत्येक अभ्यर्थी को चाहिए कि वह विज्ञापन में दिए गए निर्देशों तथा आवेदन पत्र में वांछित सभी जानकारी देखकर अत्यंत सावधानी पूर्वक सही एवं पूर्ण जानकारी भरें, यदि आवेदनपत्र में कोई जानकारी अपूर्ण अथवा त्रुटिपूर्ण दी जाती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी। त्रुटि अथवा अपूर्णता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना पूर्व सूचना दिए आवेदन पत्र, चयन के किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकेगा, तथा इस संबंध में कोई पत्राचार ग्राह्य नहीं होगा।

7/— आवेदनपत्र के साथ स्वयं का पूर्ण नाम एवं पता लिखे हुए दो लिफाफे पर रूपए 5/— 5/— (पांच—पांच) रूपये का टिकट चस्पा करते हुए आवश्यक रूप से संलग्न करें, यदि अभ्यर्थी द्वारा टिकट चस्पा किया हुआ लिफाफा संलग्न नहीं किया जाता है तो परीक्षा के संबंध में सूचना प्राप्त नहीं होने की जिम्मेदारी कार्यालय की नहीं होगी।

8/— अभ्यर्थी यदि अनुवादक हिन्दी से अंग्रेजी, सहायक ग्रेड—3/प्रोसेस राईटर/ कम्प्यूटर आपरेटर, वाहन चालक एवं भृत्य के सभी या एक से अधिक पदो के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करना चाहता है, तो उसे प्रत्येक पद हेतु पृथक—पृथक निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्रस्तुत करना होगा तथा एक पद के लिए केवल एक ही आवेदन स्वीकार किया जावेगा, किन्तु वह आवेदन में अन्य पदों पर आवेदन प्रस्तुत किये जाने हेतु ब्यौरा उल्लेखित करेगा।

9/— **विज्ञापन प्रकाशन तिथि के पूर्व प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।**

10/— लिखित परीक्षा पश्चात् अर्हताधारी अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा के लिए उपस्थित होने हेतु पृथक सूचना दी जावेगी। जिन उपयुक्त अभ्यर्थी को कौशल परीक्षा तिथि के पूर्व तक उपस्थित होने की सूचना प्राप्त नहीं होती है, तो वे **छत्तीसगढ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर की वेबसाईट https://cgslsa.gov.in/ पर** से अपना प्रवेश पत्र (Admit Card) डाउनलोड कर पहचान पत्र (ID Proof) तथा ड्राईविंग—लायसेंस/ वोटर आईडी/ आधार कार्ड/ पैन कार्ड/ स्मार्ट कार्ड सहित उपस्थित होंगे। यदि उनकी उम्मीदवारी सही पाई गई तो कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जा सकेगी।

11/— सामान्य प्रशासन विभाग रायपुर का पत्र कमांक 1269/23/मु.म.नि./ 2014 /1—7 दिनांक 23/08/2014 के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिवार के सदस्यों को प्राथमिकता दी जावेगी।

12/— समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में जन्मतिथि के आधार पर वरीयता तय की जाएगी, जिस अभ्यर्थी की जन्मतिथि पहले होगी, उसे प्राथमिकता प्रदान की जाएगी, जन्मतिथि भी समान होने पर प्रथम भाग लिखित परीक्षा (सामान्य मानसिक योग्यता एवं सामान्य ज्ञान) में अधिक अंक पाने वाले उम्मीदवार को वरिष्ठता दी जावेगी। सर्वप्रथम अंतिम चयन सूची/प्रतीक्षा सूची (Provisional List) तैयार की जावेगी, सूची का प्रकाशन **छत्तीसगढ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर की वेबसाईट https://cgslsa.gov.in/ पर** एवं कार्यालय के सूचना पटल पर किया जावेगा। चयनित उम्मीदवार के प्रमाणपत्रों के संबंध में यदि किसी को दावा/आपत्ति हो तो चयन सूची के प्रकाशन के 10 दिवस के भीतर इस कार्यालय में प्रस्तुत कर सकेगा। उक्त समयावधि में कोई अभ्यावेदन प्राप्त न होने की स्थिति में यह मान लिया जावेगा कि किसी अभ्यर्थी को कोई आपत्ति नहीं है।

13/— चयनित उम्मीदवार को कार्यभार ग्रहण करते समय समस्त प्रमाणपत्रों की मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। मूल प्रति के अभाव में उनका चयन निरस्त कर दिया जावेगा।

14/— चयनित उम्मीदवार को इस आशय का घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उसके विरूद्ध कोई आपराधिक प्रकरण वर्तमान् में लंबित नहीं है तथा पूर्व में उसे किसी आपराधिक प्रकरण में दोषसिद्ध नहीं किया गया है।

चयनित अभ्यर्थी से संबंधित जिला चिकित्सालय के चिकित्सा बोर्ड के स्वास्थ्य (Fitness) प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही चयनित अभ्यर्थी को सेवा में लिया जावेगा तथा आरक्षित वर्ग के चयनित उम्मीदवार के जाति प्रमाणपत्र का सत्यापन संचालक आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान छत्तीसगढ रायपुर से कराए जाने पर विपरीत टीप प्राप्त होने पर सेवा से पृथक किया जा सकेगा। कार्यालय द्वारा चयनित उम्मीदवार की नियुक्ति उपरांत उसका पुलिस वेरीफिकेशन भी कराया जावेगा, आपराधिक गतिविधियों में शामिल पाये जाने की दशा में नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।

15/— उपरोक्त विज्ञापन में दर्शित रिक्त पदों की संख्या परिवर्तनीय होगी, जिसे बढाया या कम किया जा सकेगा। **आरक्षण एवं रोस्टर के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के एस.एल.पी.(सी) 19668/2022 में पारित अंतिम आदेश/निर्णय के अध्याधीन किया जावेगा।**

16/— चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर की जावेगी।

17/— चयन उपरांत कोई जानकारी असत्य पाई जाती है तो की गई नियुक्ति समाप्त कर दी जाएगी साथ ही संबंधित के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।

18/— चुने गए अभ्यर्थी की नियुक्ति छत्तीसगढ राज्य के किसी भी जिला अथवा तहसील के विधिक सेवा संस्थान में की जा सकेगी तथा नियुक्ति स्थल पर निवास करना आवश्यक होगा।

19/ छ0ग0शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर,अटल नगर का पत्र कमांक 6643/स्था./2023 नया रायपुर दिनांक 25 मई,2023 के साथ संलग्न माननीय उच्च न्यायालय के प्रकरण कमांक रिट पिटीशन कमांक 36/2023 छत्तीसगढ़ दिव्यांग सेवा संघ विरूद्व छत्तीसगढ़ शासन एवं 14 अन्य के संदर्भ में आयोजित बैठक दिनांक 19.05.2023 का कार्यवाही विवरण के बिन्दु कमांक–4 के 4.1 एवं 4.2 में दिये गये निदेशों का पालन किया जावेगा।

नियुक्ति हेतु चयन विधि

(1)..अनुवादक हिन्दी से अंग्रेजी, सहायक ग्रेड–3/कम्प्यूटर आपरेटर/प्रोसेस राईटर/वाहन चालक/भृत्य/आदेशिका वाहक के रिक्त पदों हेतु

प्रथम भाग "लिखित परीक्षा"

छत्तीसगढ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर, छ.ग. द्वारा गठित भर्ती कमेटी या सब कमेटी द्वारा एक लिखित स्वतंत्र प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसमें 50 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा जिसके सभी 50 प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे, जिसमें प्रत्येक प्रश्न का एक–एक अंक होगा। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए एक उत्तर पुस्तिका होगी, जिसमें चार विकल्प गोले के रूप में दिए जाएंगे, सही उत्तर के विकल्प वाले गोले को नीली स्याही के पेन से पूर्णतः भर कर चिन्हित करना होगा। उक्त वस्तुनिष्ठ प्रश्न, सामान्य मानसिक योग्यता, सामान्य ज्ञान, सामान्य गणित एवं समसामयिक विषयों, कम्प्यूटर, इंटरनेट एवं पद से संबंधित् होंगे, उक्त परीक्षा की अवधि केवल एक घंटे की होगी।

1. अनुवादक(हिन्दी से अंग्रेजी) के पद हेतु

हिन्दी से अंग्रेजी अनुवाद 250 शब्द, अंग्रेजी से हिन्दी अनुवाद 250 शब्द एवं लैटिन वर्ड का अनुवाद (अनुवाद हिन्दी या अग्रेजी में) प्रत्येक गलत शब्द के लिये आधा अंक काटा जावेगा।

विधि स्नातक को अधिमान्यता दी जावेगी अर्थात वरिष्ठता निर्धारण में विधि स्नातक को 0.5 अंक प्रदान किया जावेगा। कौशल परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर चयन सूची तैयार की जावेगी।

कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे–आफिस (Libre Office)/Windows MS Word में Unicode/Kurtidev Font में ली जावेगी।

कौशल परीक्षा 50 अंक, निर्धारित समय 1.30, (एक घण्टा तीस मिनिट)

---

2. सहायक ग्रेड–3/कम्प्यूटर आपरेटर/ प्रोसेस राईटर के पद हेतु

उम्मीदवारों को 250 शब्द (लगभग) का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 10 मिनट की सीमा में शुद्धता से कम्प्युटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि के लिए 1/5 अंक काटा जावेगा, हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा।

कौशल परीक्षा लिब्रे–आफिस (Libre Office)/WindowsMS Wordमें Kurtidev Font में ली जावेगी।

कौशल परीक्षा 50 अंक निर्धारित समय 10.00 मिनिट (दस मिनिट)

---

(2)वाहन चालक एवं भृत्य पद हेतु अभ्यर्थियों से प्राप्त आवेदन पत्र के आधार पर, अभ्यर्थियों का चयन निम्नलिखित प्रक्रिया के तहत किया जावेगाः–

3. वाहन चालक के पद हेतु

प्रथम चरण–वाहन चालक के पदों पर चयन हेतु रिक्त पदों की संख्या से 15 गुना या अधिक तक आवेदन प्राप्त होने पर सभी उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा हेतु बुलाया जाएगा। प्रथम चरण में 50 अंकों की लिखित परीक्षा होगी, जिसमें मुख्यतः सामान्य ज्ञान एवं मोटर व्हीकलस से संबंधित प्रश्न पुछें जावेगें। किन्तु रिक्त पदों की संख्या से 20 गुना से अधिक संख्या में आवेदन प्राप्त होने पर अभ्यर्थियों की छंटनी हेतु जो प्रक्रिया अपनाई जावेगी उसे आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि के उपरांत राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की वेबसाईट **https://cgslsa.gov.in/**पर अपलोड कर दी जावेगी। छंटनी की प्रक्रिया भर्ती कमेटी/सब कमेटी द्वारा निर्धारित की जावेगी, जो **वाहन चालक की न्यूनतम योग्यता कक्षा आठवीं में प्राप्त अंकों के आधार पर या अन्य किसी आधार पर भी निर्धारित की जा सकती है।** यह भी निर्धारित किया जा सकता है कि लिखित परीक्षा हेतु कक्षा आठवीं के अंकों या भर्ती कमेटी/सब कमेटी के द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार रिक्त पदों के आधार पर निर्धारित रिक्त पदो के कितने गुणा अभ्यर्थियों को आमंत्रित करना है।

द्वितीय चरण :–वाहन परिचालन के परीक्षण हेतु 50 अंको का कौशल/प्रायोगिक/दक्षता परीक्षा आयोजित किया जावेगा। कौशल परीक्षा/प्रायोगिक/दक्षता में प्राप्त अंको के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जावेगी। जिसमें से अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की चयन सूची एवं प्रतीक्षा सूची तैयार की जावेगी। समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में जन्मतिथि के आधार पर वरीयता तय की जावेगी। जिस अभ्यर्थी की जन्मतिथि पहले होगी उन्हें प्राथमिकता प्रदान की जावेगी। वाहन चालक के पद हेतु जिसके पास वाहन मेंकेनिक से संबंधित आई.टी.आई का प्रमाण पत्र होगा, उसे चयन हेतु प्राथमिकता दी जावेगी।

लिखित परीक्षा समय 1.00 (एक घण्टा)

4. भृत्य के पद हेतु

प्रथम चरण–भृत्य के पदों पर चयन हेतु रिक्त पदों की संख्या से 15 गुना या अधिक तक आवेदन प्राप्त होने पर सभी उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा हेतु बुलाया जाएगा। चयन हेतु लिखित परीक्षा आयोजित की जावेगी। अभ्यर्थीयों का पांचवी कक्षा उत्तीर्ण स्तर के सामान्य ज्ञान की लिखित परीक्षा ली जावेगा

द्वितीय चरण– लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थीयों में से वरीयता सूची से रिक्त पदों की संख्या से 10 गुना तक उम्मीदवारों को प्रायोगिक/कौशल परीक्षा/शारीरिक क्षमता/मानसिक दक्षता आंकलन के लिये बुलाया जाएगा।

लिखित परीक्षा एवं कौशल/प्रायोगिक/शारीरिक क्षमता/मानसिक दक्षता परीक्षा हेतु पात्र अभ्यर्थीयों की सूची राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की वेबसाईट **https://cgslsa.gov.in/** पर अपलोड कर दी जावेगी। छंटनी की प्रक्रिया भर्ती कमेटी/सब कमेटी द्वारा निर्धारित की जावेगी, जो **भृत्य की न्यूनतम योग्यता कक्षा पांचवी में प्राप्त अंकों के आधार पर या अन्य किसी आधार पर भी निर्धारित की जा सकती है,** यह भी निर्धारित किया जा सकता है। कक्षा पांचवी के अंकों के आधार पर निर्धारित प्रावीण्य सूची में से रिक्त पदो के कितने गुणा अभ्यर्थियों को आमंत्रित करना है। पात्र अभ्यर्थीयों को अपना प्रवेश पत्र की जानकारी राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर के वेबसाईट **https://cgslsa.gov.in/**पर अपलोड कर प्राप्त की जा सकेगी। इस हेतु अभ्यर्थी अपना पहचान हेतु आधार कार्ड, डाईविंग लाईसेस अथवा शासन द्वारा जारी अधिकृत परिचय पत्र प्रस्तुत करना होगा।

लिखित परीक्षा 50 अंक निर्धारित समय 1.00 (एक घण्टा)

उपरोक्तानुसार प्रतीक्षा सूची परिणाम घोषित होने की तिथि से एक वर्ष तक प्रभावशील रहेगी।

1. नियुक्ति के पूर्व माननीय उच्चतम न्यायालय/माननीय छ0ग0 उच्च न्यायालय या छ0ग0 शासन के द्वारा योग्यता/नियुक्ति अथवा परीक्षा/पदों के संबंध में कोई भी विशिष्ट दिशा–निर्देश/आदेश जारी किये जाते हैं तो, उसी के अनुसार नियुक्ति/चयन प्रक्रिया निर्धारित की जावेगी।
2. परीक्षा की तिथि– पृथक से सूचित की जावेगी, जिस हेतु सभी अभ्यर्थी को निर्देशित किया जाता है कि वे छ0ग0राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर की वेबसाईट **https://cgslsa.gov.in/** पर अपलोड किये जाने पर देख सकते हैं। इस संबंध में प्रमुख समाचार पत्रों में भी प्रकाशन किया जावेगा।
3. आवेदनों के निर्धारित तिथि पर प्राप्त होने के उपरांत, छान–बीन किये जाने के पश्चात्, पात्र एवं अपात्र की सूची छ0ग0राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर के अधिकारिक वेबसाईट **https://cgslsa.gov.in/** तथा प्रमुख समाचार पत्रों में भी प्रकाशन किया जावेगा। दावा आपत्ति के निराकरण उपरांत, सही आवेदनों के संबंध में लिखित परीक्षा/कौशल/प्रयोगात्मक/शारीरिक दक्षता हेतु अंतिम सूची अधिकारिक वेबसाईट **https://cgslsa.gov.in/** तथा प्रमुख समाचार पत्रों में भी प्रकाशन किया जावेगा।
4. आवेदकों की जिम्मेदारी होगी कि वह समय–समय पर सूची छ0ग0राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,बिलासपुर के अधिकारिक वेबसाईट **https://cgslsa.gov.in/** पर अपलोड जानकारी का अवलोकन कर एवं प्रमुख समाचार पत्रों से भी जानकारी प्राप्त करें।
5. चयन प्रकिया के किसी भी चरण में अभ्यर्थी द्वारा चयन समिति के सदस्यों को किसी भी प्रकार के अनुचित माध्यमों से प्रभावित करने की कोशिश करने या अनावश्यक दबाव डालने पर उनकी उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी।
6. विज्ञापन में तथ्यात्मक/लिपिकीय/रिक्तियों की संख्या आदि संबंधी त्रुटियॉ सुधारी जा सकती हैं, जिसकी सूचना विधिवत समाचार पत्र/वेबसाईट में प्रकाशित होगी।

भर्ती समिति के प्रस्ताव एवं माननीय कार्यपालक अध्यक्ष महोदय, छ0ग0राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर के अनुमोदन उपरांत आयोजित लिखित/कौशल/प्रायोगिक/ शारीरिक एवं मानसिक दक्षता परीक्षा की प्रक्रिया में परिवर्तन किया जा सकेगा एवं चयन प्रक्रिया के संबंध में उनका निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

08/9/2023

अध्यक्ष,
भर्ती/चयन समिति,
छ0ग0राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,
बिलासपुर

आवेदन का प्रारूप

अनुवादक (हिन्दी से अंग्रेजी), सहायक ग्रेड–3/प्रोसेस राईटर/कम्प्यूटर आपरेटर

(जिस पद के लिए आवेदन करें उसे चिन्हित करें, प्रत्येक पद के लिए पृथक–पृथक आवेदन प्रस्तुत करें)

प्रति,

सदस्य सचिव,
छ.ग.राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,
बिलासपुर, (छ.ग.)

आवेदक का स्वहस्ताक्षरित नवीनतम पासपोर्ट साईज रंगीन फोटो, नाम एवं दिनांक सहित

1. आवेदित पद का नाम–

आवेदित पद के अलावा अन्य आवेदित पद का ब्यौरा ✓अंकित करें

अनुवादक (हिन्दी से अंग्रेजी),	सहायक ग्रेड–3/प्रोसेस राईटर/कम्प्यूटर आपरेटर	वाहन चालक	भृत्य/आदेशिका वाहक

2. अभ्यर्थी का पूरा नाम– (हिन्दी में)

3. अभ्यर्थी का पूरा नाम– (In English Capital Letters)

4. लिंग– पुरूष ☐ महिला☐✓अंकित करें

5. राष्ट्रीयता–

6. पिता/पति का नाम–

7. (अ) पत्र व्यवहार का वर्तमान पता–

(ब) स्थायी पता (यदि उपरोक्त से भिन्न न हो तो "तदैव" लिखें)–

8. (अ) जन्मतिथि अंको में–

जन्मतिथि शब्दों में

(ब) दिनांक 01/01/2023 को आयु–

वर्ष माह दिन

9. क्या अभ्यर्थी छ.ग. का मूल निवासी है? (जो लागू न हो उसे काट दें) हां ☐नहीं ☐
(यदि हां तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें।)

10. क्या अभ्यर्थी छ.ग. शासन द्वारा छ.ग. के लिए घोषित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का सदस्य है
(यदि हां तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें।)

11. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग अंकित करें ☐

12. क्या अभ्यर्थी दिव्यांग है हां ☐नहीं ☐
(यदि हां तो दिव्यांग संबंधी जिला मेडिकल बोर्ड का सत्यापित प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करें।)

13. यदि दिव्यांग है तो दिव्यांगता का प्रकार ☐

14. क्या अभ्यर्थी भूतपूर्व सैनिक है ? हां☐नहीं ☐
(यदि हां तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें।)

15. यदि अभ्यर्थी विज्ञापन के अनुसार छुट प्राप्त करना चाहता है तो दस्तावेजों सहित ब्यौरा प्रस्तुत करें:–..

16. रोजगार कार्यालय का पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक यदि हो तो:–

क्रमांक

दिनांक

17. रोजगार कार्यालय का नाम

18. क्या अभ्यर्थी विवाहित है हां ☐नहीं ☐

19. यदि विवाहित है तो विवाह की तिथि

20. शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता (प्रमाण पत्रों की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें)

क्र.	परीक्षा का नाम	उत्तीर्ण होने का वर्ष	बोर्ड/वि.वि.का नाम	विषय	प्राप्तांक/पूर्णांक	प्रतिशत

21. कार्यानुभव विवरण (प्रमाण पत्रों की सत्यापित छायाप्रति यदि कोई हो तो संलग्न करें)

क्र.	पद का नाम	संस्था का नाम	प्रथम नियुक्ति दिनांक	कुल वर्ष

22. क्या अभ्यर्थी छ.ग. शासकीय अर्द्धशासकीय संस्था में कार्यरत है? हां ☐नहीं ☐
(यदि हां तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें।)

क्या अभ्यर्थी को 'शासकीय अथवा गैरशासकीय संस्थानों से सेवानिवृत्त
अथवा सेवा से पृथक किया गया है? हां ☐नहीं ☐
(यदि हां तो स्पष्ट कारण दर्षितज करते हुये विवरण/जानकारी देवें।)

23. यदि अभ्यर्थी का कोई प्रकरण न्यायालय में लंबित हो या उसे किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किया गया हो तो उसका विवरण

....

24. अभ्यर्थी का मोबाईल नम्बर ....

25. <u>संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची</u>

1. .... 2. ....
3. .... 4. ....
5. .... 6. ....
7. .... 8. ....

टीप – स्वयं द्वारा अभिप्रमाणित दस्तावेज मान्य किए जावेंगे।
बिना हस्ताक्षर के प्राप्त आवेदन पत्र पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

घोषणा

मैं एतद् द्वारा घोषित करता/करती हूँ कि इस प्रपत्र में दिए गए समस्त विवरण तथा संलग्न अभिलेख मेरी व्यक्तिगत् जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है और यदि मिथ्या पाए जाते हैं तो मेरी उम्मीद्वारी/नियुक्ति/चयन निरस्त किए जाने योग्य होगी।

दिनांक
स्थान

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर
नाम एवं पूरा पता

आवेदन का प्रारूप

भृत्य पद हेतु

आवेदक का स्वहस्ताक्षरित नवीनतम पासपोर्ट साईज रंगीन फोटो, नाम एवं दिनांक सहित

प्रति

सदस्य सचिव
छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
पुराना उच्च न्यायलय भवन, बिलासपुर छ.ग.

1. आवेदित पद का नाम–

आवेदित पद के अलावा अन्य आवेदित पद का ब्यौरा ✓अंकित करें

अनुवादक (हिन्दी से अंग्रेजी),	सहायक ग्रेड–3 / प्रोसेस राईटर / कम्प्यूटर आपरेटर	वाहन चालक	भृत्य / आदेशिका वाहक

2. अभ्यर्थी का पूरा नाम– (हिन्दी में)

3. अभ्यर्थी का पूरा नाम– (In English Capital Letters)

4. लिंग – पुरूष ☐ महिला ☐ ✓अंकित करें

5. पिता / पति का नाम–

6. (अ) पत्र व्यवहार का वर्तमान पता–

(ब) स्थायी पता (यदि उपरोक्त से भिन्न न हो तो ''तदैव'' लिखें)–

7. (अ) जन्मतिथि अंको में–

जन्मतिथि शब्दों में

(ब) दिनांक 01 / 01 / 2023 को आयु–

वर्ष माह दिन

8. क्या अभ्यर्थी छ.ग. का मूल निवासी है? (जो लागू न हो उसे काट दें) [हां] [नहीं]
(यदि हां तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें।)

9. क्या अभ्यर्थी छ.ग. शासन द्वारा छ.ग. के लिए घोषित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का सदस्य है [हां] [नहीं]
(यदि हां तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें।)

10. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग अंकित करें [ ]

11. क्या अभ्यर्थी दिव्यांग है [हां] [नहीं]
(यदि हां तो दिव्यांग संबंधी जिला मेडिकल बोर्ड का सत्यापित प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करें।)

12. यदि दिव्यांग है तो दिव्यांगता का प्रकार [ ]

13. क्या अभ्यर्थी भूतपूर्व सैनिक है ? [हां] [नहीं]
(यदि हां तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें।)

13ए.यदि अभ्यर्थी विज्ञापन के अनुसार छुट प्राप्त करना चाहता है तो दस्तावेजों सहित ब्यौरा प्रस्तुत करें:–...

14. रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक यदि हो तोः–

क्रमांक [| | | | | | | | |]

दिनांक [|] [|] [| | |]

15. रोजगार कार्यालय का नाम :–

16. क्या अभ्यर्थी विवाहित है [हां] [नहीं]

17. यदि विवाहित है तो विवाह की तिथि

[|] [|] [| | |]

18. शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता *(प्रमाण पत्रों की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें)*

क्र.	परीक्षा का नाम	उत्तीर्ण होने का वर्ष	बोर्ड/वि.वि.का नाम	विषय	प्राप्तांक/पूर्णांक	प्रतिशत

19. कार्यानुभव विवरण *(प्रमाण पत्रों की सत्यापित छायाप्रति यदि कोई हो तो संलग्न करें)*

क्र.	पद का नाम	संस्था का नाम	प्रथम नियुक्ति दिनांक	कुल वर्ष

20. यदि अभ्यर्थी का कोई प्रकरण न्यायालय में लंबित हो या उसे किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किया गया हो तो उसका विवरण ....
....

21. आवेदक यदि ड्राईविंग,बढ़ई, रसोईया प्लम्बर,इलेक्ट्रीशियन, माली या अन्य कोई विशेष योग्यता रखता है तो उसका ब्यौरा प्रस्तुत करें (ड्राईविग लाईसेंस सहित प्रमाण पत्र)

....

22. अभ्यर्थी का मोबाईल नम्बर ....

23. क्या अभ्यर्थी छ.ग. शासकीय अर्द्धशासकीय संस्था में कार्यरत है? हां नहीं

(यदि हां तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें।)

क्या अभ्यर्थी को 'शासकीय अथवा गैरशासकीय संस्थानों से सेवानिवृत्त अथवा सेवा से पृथक किया गया है? हां □नहीं □

(यदि हां तो स्पष्ट कारण दर्शित करते हुये विवरण/जानकारी देवें।)

24. <u>संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची</u>

1. कक्षा 5वीं का प्रमाण पत्र ....
2. छ.ग. का मूल निवास प्रमाण पत्र ....
3. छ.ग. का स्थायी जाति प्रमाण पत्र ....
4. स्वयं का शपथ पत्र ....
5. रोजगार कार्यालय जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र यदि हो तो..
6. अन्य ....

➢ *टीप –स्वयं द्वारा अभिप्रमाणित दस्तावेज मान्य किए जावेंगे।*
बिना हस्ताक्षर के प्राप्त आवेदन पत्र पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

<u>घोषणा</u>

मैं एतद् द्वारा घोषित करता/करती हूँ कि इस प्रपत्र में दिए गए समस्त विवरण तथा संलग्न अभिलेख मेरी व्यक्तिगत् जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है और यदि मिथ्या पाए जाते हैं तो मेरी उम्मीद्वारी/नियुक्ति/चयन निरस्त किए जाने योग्य होगी।

दिनांक
स्थान

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर
नाम एवं पूरा पता

आवेदन का प्रारूप

आवेदक का स्वहस्ताक्षरित नवीनतम पासपोर्ट साईज रंगीन फोटो, नाम एवं दिनांक सहित

वाहन चालक पद हेतु

प्रति

सदस्य सचिव
छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
पुराना उच्च न्यायलय भवन, बिलासपुर छ.ग.

1. आवेदित पद का नामः–

आवेदित पद के अलावा अन्य आवेदित पद का ब्यौरा ✓अंकित करें

अनुवादक (हिन्दी से अंग्रेजी),	सहायक ग्रेड–3/प्रोसेस राईटर/कम्प्यूटर आपरेटर	वाहन चालक	भृत्य/आदेशिका वाहक

2. अभ्यर्थी का पूरा नाम– (हिन्दी में)

3. अभ्यर्थी का पूरा नाम– (In English Capital Letters)

4. लिंग – पुरूष ☐ महिला ☐ ✓अंकित करें

5. पिता/पति का नाम–

6. (अ) पत्र व्यवहार का वर्तमान पता–

   (ब) स्थायी पता (यदि उपरोक्त से भिन्न न हो तो "तदैव" लिखें)–

7. (अ) जन्मतिथि अंको में–

   जन्मतिथि शब्दों में

   (ब) दिनांक 01/01/2023 को आयु–

   वर्ष माह दिन

8. क्या अभ्यर्थी छ.ग. का मूल निवासी है? (जो लागू न हो उसे काट दें) हां नहीं
(यदि हां तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें।)

9. क्या अभ्यर्थी छ.ग. शासन द्वारा छ.ग. के लिए घोषित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का सदस्य है हां नहीं
(यदि हां तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें।)

10. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग अंकित करें

11. क्या अभ्यर्थी दिव्यांग है हां नहीं
(यदि हां तो दिव्यांग संबंधी जिला मेडिकल बोर्ड का सत्यापित प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करें।)

12. यदि दिव्यांग है तो दिव्यांगता का प्रकार

13. क्या अभ्यर्थी भूतपूर्व सैनिक है ? हां नहीं
(यदि हां तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें।)

14. रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक यदि हो तोः–
क्रमांक

दिनांक

15. रोजगार कार्यालय का नाम :–

16. क्या अभ्यर्थी विवाहित है हां नहीं

17. यदि विवाहित है तो विवाह की तिथि

18. शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता *(प्रमाण पत्रों की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें)*

क्र.	परीक्षा का नाम	उत्तीर्ण होने का वर्ष	बोर्ड/वि.वि.का नाम	विषय	प्राप्तांक/पूर्णांक	प्रतिशत

19. कार्यानुभव विवरण *(प्रमाण पत्रों की सत्यापित छायाप्रति यदि कोई हो तो संलग्न करें)*

क्र.	पद का नाम	संस्था का नाम	प्रथम नियुक्ति दिनांक	कुल वर्ष

20. यदि अभ्यर्थी का कोई प्रकरण न्यायालय में लंबित हो या उसे किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किया गया हो तो उसका विवरण ....

21. अभ्यर्थी का मोबाईल नम्बर ....

22. क्या अभ्यर्थी छ.ग. शासकीय अर्द्धशासकीय संस्था में कार्यरत है? ☐ हां ☐ नहीं
(यदि हां तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें।)

क्या अभ्यर्थी को 'शासकीय अथवा गैरषासकीय संस्थानों से सेवानिवृत्त अथवा सेवा से पृथक किया गया है? हां ☐नहीं ☐
(यदि हां तो स्पष्ट कारण दर्शित करते हुये विवरण/जानकारी देवें।)

23. <u>अभ्यर्थी के ड्राईविंग लाईसेंस का ब्यौरा–</u>

1. जारी करने का दिनांक..
2. कब तक वैध है..
3. जारी करने वाला कार्यालय..
4. श्रेणी..

24. <u>संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची</u>

1. कक्षा 8वीं का प्रमाण पत्र ....
2. छ.ग. का मूल निवास प्रमाण पत्र ....
3. छ.ग. का स्थायी जाति प्रमाण पत्र ....
4. स्वयं का शपथ पत्र ....
5. रोजगार कार्यालय जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र यदि हो तो ....
6. ड्राईविंग लाईसेस के दोनो तरफ की छाया प्रति..
7. अन्य..

➢ *टीप –स्वयं द्वारा अभिप्रमाणित दस्तावेज मान्य किए जावेंगे।*
बिना हस्ताक्षर के प्राप्त आवेदन पत्र पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

घोषणा

मैं एतद् द्वारा घोषित करता/करती हूँ कि इस प्रपत्र में दिए गए समस्त विवरण तथा संलग्न अभिलेख मेरी व्यक्तिगत् जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है और यदि मिथ्या पाए जाते हैं तो मेरी उम्मीदवारी/नियुक्ति/चयन निरस्त किए जाने योग्य होगी।

दिनांक
स्थान

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर
नाम एवं पूरा पता